सं.-45/7/2008-पी एंड पी डब्ल्यू(एफ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन,

नई दिल्ली-110003

दिनांक: 12 जुलाई, 2010.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के बारे में सरकार के निर्णयों का कार्यान्वयन – सेवा में मृत्यु एवं नि:शक्तता के मामलों में विशेष लाभों को विनियमित करने वाले उपबंधों का संशोधन – केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के परिवारों को एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति का भुगतान – सम्बन्धित संशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 16 मार्च, 2009 में यह प्रावधान दिया गया था कि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवारों को सरकार के विविध स्रोतों जैसे प्रधान मंत्री राहत कोष, मुख्य मंत्री राहत कोष इत्यादि से मिलने वाली एकमुश्त अनुग्रह राहत राशि प्रत्येक मामले में 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए । इस विभाग के दिनांक 11 सितम्बर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 45/55/97-पी एंड पी.डब्ल्यू(ग) के अनुबंध के पैरा-12 में इस आशय का संशोधन कर दिया गया था ।

2. इस मामले की आगे समीक्षा की गई है और अब यह निर्णय लिया गया है कि का.ज्ञा. सं. 38/37/08- पीएंडपीडब्ल्यू(क) दिनांक 2 सितम्बर, 2008 और का.ज्ञा. सं. 45/7/2008- पीएंडपीडब्ल्यू(एफ) दिनांक 16 मार्च, 2009 के साथ पठित पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 45/55/97- पीएंडपीडब्ल्यू(ग) दिनांक 11 सितम्बर, 1998 के निबंधनों में एकमुश्त अनुग्रह राहत राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ।

3. उक्त संशोधित प्रावधान 1.1.2006 से प्रभाव होंगे ।

4. इस का.ज्ञा. दिनांक 11 सितम्बर, 1998 की अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगी ।

5. यह, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के यू.ओ. सं. 361/ईवी/2010 दिनांक 4 जून, 2010 के परामर्श से जारी किया जाता है ।

पृष्ठ - 2/-

6. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का सम्बन्ध हैं, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद जारी किए जाते हैं ।

तृप्ति घोष

(तृप्ति पी. घोष)
निदेशक (पीपी)
दूरभाष: 24624802

सेवा में,

मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रति: राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, भारत का उच्चतम न्यायालय, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि मानक सूची के अनुसार ।